कार्यालय जिलाधिकारी/लाईसेंस प्राधिकारी, फर्रूखाबाद।

संख्याः 1173 /जि0आ0अ0/फर्रूखाबाद/व्यवस्थापन/ई-टेण्डर/2019-20/दिनांकः दिसम्बर 11, 2019

ई-टेण्डर सम्बन्धी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 09.12.2019 के द्वारा देशी शराब दुकान नगला खुरू (शॉप आई0डी0-18166) व भरतपुर (शॉप आई0डी0-19560) निरस्त कर दिया गया है। उक्त दुकानों का व्यवस्थापन दिनांक 11.12.2019 से दिनांक 18.12.2019 के मध्य ई-टेण्डर/ऑफर के माध्यम से कराया जाएगा। तत्क्रम में ई-टेण्डर/ऑफर हेतु निम्नलिखित प्रकिया निर्धारित की जाती है-

1. दुकान के व्यवस्थापन हेतु सम्पूर्ण भारतवर्ष में निवासियों से ऑनलाइन ई-टेण्डर आमंत्रित किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है।

1	Tender publishing date	11-12-2019 at 15.30
2	Document download start date	11-12-2019 at 15.30
3	Document download end date	18-12-2019 at 09.00
4	Pre bid meeting date	16-12-2019 at 11.00
5	Bid submission start date	11-12-2019 at 17.30
6	Bid submission closing date	18-12-2019 at 09.30
7	Technical bid opening date	18-12-2019 at 10.00
8	Financial bid opening date	18-12-2019 at 16.00
9	The place of bid opening	NIC, Farrukhabad
10	Tender inviting officer	Collector Farrukhabad

2. वित्तीय वर्ष 2019-20 की शेष अवधि हेतु देशी शराब की फुटकर दुकानो नगलाखुरू व भरतपुर का व्यवस्थापन वेबसाईट www.etender.up.nic.in पर ऑनलाइन ऑफर/आवेदन किया जाएगा।
3. व्यवस्थापन सम्बन्धित विस्तृत विवरण आबकारी विभाग की वेबसाइट www.upexcise.in पर उपलब्ध रहेगी।
4. आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रकिया वेबसाइट पर सम्पादित की जाएगी। जनपद की देशी शराब की फुटकर दुकानों नगला खुरू व भरतपुर हे उक्त वेवासाइट के माध्यम से ऑनलाइन आफर/आवेदन किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदक/ऑफरदाता को Digital Signature Certificate (DSC) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एजेन्सी से अनिवार्य रूप से तैयार करानी होगी तथा www.etender.up.nic.in पर पंजीकरण करना होगा, जिसके माध्यम से उक्त शराब की दुकान हेतु आवेदन कर सकेगा। आवेदन केवल ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार्य नही है। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ देशी शराब दुकान हेत 18000/- प्रोसेसिंग शुक्ल अवेदन के रूप में देय होगा इस पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 भी नियमानुसार देय होगी। प्रत्येक ऑनलाइन आवेदन पर प्रोसेसिंग शुल्क एवं जी0एस0टी0 अनिवार्य रूप से एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उप आबकारी आयुक्त (लाइसेसिंग) और सहायक लेखाधिकारी उत्तर प्रदेश एक्साइज (DEC L AND AAO UPEXCISE PRAYAGRAJ) के पदनाम से पंजाब नेशनल बैंक, विपुल खंड लखनऊ स्थित बचत खाता संख्या 4483000100050375 में जमा कराना होगा। पंजाब नेशनल बैंक, विपुल खंड लखनऊ शाखा का आई0एफ0एस0सी0 कोड PUNB0448300 है।
5. देशी मदिरा की दुकान हेतु सम्बन्धित दुकान के निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्राा में निहित बेसिक लाइसेंस फीस के 10 प्रतिशत के बराबर की धरोहर धनराशि बैंक ड्राफट के रूप में जो कि जिला आबकारी अधिकारी फर्रूखाबाद के नाम बना हो, ही स्वीकार्य किये जाएंगे। प्रत्येक आवेदन के लिए पृथक धरोहर धनराशि जमा करनी आवश्यक होगी।
6. प्रोसेसिंग शुल्क एवं जी0एस0टी0 के एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 से भुगतान की बैंक रसीद तथा पूर्व निर्धारित आवश्यक प्रपत्र यथा सॉलवेंसी आयकर वेल्यूवर द्वारा निर्गत सम्पत्ति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि प्रपत्र भी स्कैन कर ई-टेण्डर पोर्टल के टेक्निकल बिड सेक्शन में अपलोड करना आवेदक के लिए अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी ई-टेण्डर के फाइनेंसियल सेक्शन में अपलोड की जाएगी।
7. मदिरा की दुकानों हेतु ऑफर में सर्वाधिक वार्षिक एम0जी0क्यू0 के ई-टेण्डर/आफर को स्वीकार किया जाएगा। यदि दो या दो से अधिक समान अधिकतम ई- टेण्डर/आफर प्राप्त होते है, तब जनपद स्तर पर ही मैनुअल लाटरी के माध्यम से ऐसे समान ई-टेण्डर/ऑफर में से एक को चुन कर व्यवस्थापन कराया जाएगा।
8. देशी शराब की दुकान के सन्दर्भ में स्वीकृत टेण्डर के एम0जी0क्यू0 को 12 के अगले गुणांक में निर्धारित किया जाएगा।

REDMI NOTE 5 PRO

9. आवेदक ऑनलाइन प्रकाशन की तिथि तक 21 वर्ष से कम आयु का नही होना चाहिये।

10. आवेदक के पक्ष में सम्बन्धित जिनपद में यदि कोई दुकान पूर्व में आवंटित हुई हो तो उसका विवरण आवेदक द्वारा देना अनिवार्य होगा।

देशी शराब दुकानों का विवरण निम्नवत है।

क्र0 सं0	दुकान का नाम	प्रास्थिति	वित्तीय वर्ष 2019–20 में निर्धारित वार्षिक एम0जी0क्यू0 (ब0ली0 में)	वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस	वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस	वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु निर्धारित प्रतिभूति धनराशि	धरोहर धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगला खुरू	ग्रामीण	11652	349560	2586744	258674	34956
2	भरतपुर	ग्रामीण	8988	269640	1995336	199534	26964

(राजेश प्रसाद)
जिला आबकारी अधिकारी,
फर्रुखाबाद।

(मानवेन्द्र सिंह)
जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी,
फर्रुखाबाद।

संख्या: 1174-75/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्न को इस आशय से कि विज्ञप्ति को अपने दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम दर व स्थान में आगामी अंक में प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

1–सम्पादक दैनिक समाचार पत्र "आज" दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" फर्रुखाबाद।

2– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, फर्रुखाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति जनपद की बेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(राजेश प्रसाद)
जिला आबकारी अधिकारी,
फर्रुखाबाद।